



आदेश

डॉ० माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षा विभाग, जरारासंवि, जयपुर को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 8821-33 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था। डॉ० माताप्रसाद शर्मा को ज्ञापन क्रमांक 14159-64 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अतः डॉ० माताप्रसाद शर्मा को विभागीय जाँच की लम्बित कार्यवाही को प्रभावित किए बिना तुरन्त प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाता है।


कुलपति
जरारासंवि, जयपुर

क्रमांक: प.(599)/जरारासंवि/संस्था/17/14356-67

दिनांक:-14-2-18

प्रतिलिपिसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजस्थान राजभवन, जयपुर।
3. कुलसचिव, जरारासंवि, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक, जरारासंवि, जयपुर।
5. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक शैक्षणिक परिसर, जरारासंवि, जयपुर।
7. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जरारासंवि, जयपुर।
8. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंवि, जयपुर।
9. निजी सचिव, मा० कुलपति, जरारासंवि, जयपुर।
10. सम्बन्धित डॉ० माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षा विभाग, जरारासंवि, जयपुर।
11. व्यक्तिगत पत्रावली
12. प्रभारी वेबसाइट, जरारासंवि, जयपुर।


विशेषाधिकारी
कुलपति
जरारासंवि, जयपुर